

पत्रांक 15/डी 1-02/2009

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पेट ३

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, विहार।

पटना, दिनांक 2011

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की उम्र 65 वर्ष मान्य किए जाने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का मामला राज्य सरकार के अर्धन विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (यथा अद्यतन संशोधित) में निहित प्रावधानों एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा क्रमशः 67 एवं 64 में वर्णित प्रावधानों के समग्र पठन के आलोक में एवं योग्य शिक्षकों की कमी को दृष्टिपथ करते हुए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष मान्य करने का निर्णय लिया गया है।

02. यह निर्णय दिनांक 30.06.2010 के प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/डी 1-02/2009

/ पटना दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित।


ह0/-

(जितेन्द्र प्रसाद)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक 15/डी 1-02/2009-2925 / पटना दिनांक 07/12/2011

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के निजी सहायक/ निदेशक (उ0शि0)/सम्पर्क पदाधिकारी (श्री शर्मा)/सभी उप निदेशक (उ0शि0)/ प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।


7/12/11
(जितेन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव


7/12/11